सं0- 19011/ 25/ 2014/के.हि.प्र.सं. /अल्प.ग.प्रशि /1936 ते 2435

भारत सरकार
GOVERMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दूरभाष-23793521
फैक्स-23018740

दिनांकः 07.11.2014

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/निगम/उद्‌यम/स्वयात्तशासी तथा सांविधिक निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि ।
3. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी ।

विषयः- संघ सरकार के समस्त मंत्रालय/विभाग/सरकारी उपक्रम/बैंक/निगम/निकाय/लोक उद्‌यम /संगठन आदि के प्रबंधक (राजभाषा), संयुक्त/उप/सहायक निदेशक (राजभाषा)/ हिंदी अधिकारियों के लिए 05 पूर्ण कार्य दिवसीय अभिमुखी कार्यक्रम का आयोजन वर्ष -2015.

महोदय/महोदया,

राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन में राजभाषा अधिकारी अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वाह कर सके इसके लिए प्रशिक्षण की अनिवार्यता को देखते हुए भारत सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के हिंदी अधिकारियों के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्‌वारा अभिमुखी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । वर्ष 1999 से 2014 तक कुल 49 (उनचास), अभिमुखी कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं ।

यह देखा गया है कि उक्त कार्यक्रम के लिए नामित अनेक अधिकारी प्रशासनिक,व्यक्तिगत या आकस्मिक कारणों से इसमें शामिल नहीं होते, साथ ही अभी भी ऐसे अधिकारियों की संख्या काफी अधिक है जिन्हें किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित नहीं किया गया है । इसलिए वर्ष 2015 में भी दो अभिमुखी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं । आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ राजभाषा अधिकारियों को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामित करने का कष्ट करें ।

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	उद्‌देश्य	अवधि	नामित अधि. की पात्रता/पदनाम	भारत सरकार के कार्यालय, जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है ।
1.	अभिमुखी कार्यक्रम	राजभाषा हिंदी की अद्‌यतन जानकारी देना । राजभाषा संबंधी दायित्वों से परिचित कराना । राजभाषा नीति का सफल कार्यान्वयन करना	16.03.2015 से 20.03.2015 तक (पाँच पूर्ण कार्य दिवसीय)	भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन/अनुवाद से जुड़े संयुक्त/उप/ सहायक निदेशक (रा.भा), हिंदी अधिकारी, उप/ सहा.प्रबंधक(रा.भा)	भारत सरकार के मंत्रालय,विभाग अधीनस्थ कार्यालय/ बैंक/उपक्रम/निगम/ निकाय/बीमा कंपनी/ लोक-उद्‌यम आदि ।
2.	- वही -	- वही -	12.10.2015 से 16.10.2015 तक	- वही -	- वही -

2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली–110011/2-A, Prithvi Raj Road, New Delhi- 110011 फैक्स /Fax-011-23018740
ईमेल/e-mail : dirchti-dol@nic.in /वेबसाइट /Website : http://rajbhasha.nic.in/rajbhashachti.htm

नामांकन विधि एवं प्रपत्र

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों के ब्यौरे अनुलग्नक "1" में दिए गए प्रपत्र में यथा समय इस कार्यालय को भिजवाएं ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो ।
- प्रशिक्षण के लिए नामित अधिकारी को इस कार्यालय द्वारा अलग से यथासमय पुष्टि पत्र भेजा जाएगा ।
- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पुष्टि दिए जाने के उपरांत ही संबंधित कार्यालय नामित अधिकारियों को प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए कार्यमुक्त करें ।
- कार्यक्रम का समय सुबह 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित है ।
- **प्रशिक्षण केंद्र का पताः** अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जे एंड के हाउस के सामने/राजस्थान भवन के नजदीक) नई दिल्ली-110011

विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस पत्र को सभी संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें ।
- यात्रा/दैनिक भत्ता आदि जो भी नियमानुसार देय होगा वह नामित प्रतिभागी के कार्यालय/संगठन द्वारा ही वहन किया जाएगा, इस संस्थान द्वारा नहीं ।
- कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि इस कार्यक्रम में जिन अधिकारियों के नामों की पुष्टि इस कार्यालय द्वारा भेजी जाती है उन्हें अवश्य कार्यमुक्त किया जाए । यदि किसी कारणवश उन्हें छोड़ना संभव न हो तो उनके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को भेजा जा सकता है । नामित अधिकारी को ऐसे ही किसी अगले कार्यक्रम में भिजवाने की व्यवस्था करना भी सुनिश्चित करें ।
- प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत प्रत्येक प्रतिभागी को प्रमाण-पत्र तथा कार्यमुक्ति आदेश दिया जाएगा ।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी के लिए संबंधित एकक के प्रभारी सहायक निदेशक से फोन नं. 011-23793521 पर संपर्क करें ।
- **संस्थान के अधिकारियों के संपर्क सूत्र प्रशिक्षण केंद्र, हॉस्टल का पता एवं उनके बस रूट / निकटतम मेट्रो स्टेशन आदि के लिए अनुलग्नक - II देखें ।**

भवदीय,

(डॉ0 जय प्रकाश कर्दम)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या-19011/25/2014/के.हि.प्र.सं./अल्प.ग.प्रशि. /1936-2735 दिनांकः 07.11.2014

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

1. संयुक्त सचिव (रा.भा.) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी -11 भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली ।
2. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.सी -11 भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली ।
3. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) हिंदी शिक्षण योजना, सातवां तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली ।
4. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना ।
5. सभी उपनिदेशक (कार्यान्वयन) को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु ।
6. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली ।
7. सहायक निदेशक, अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली ।
8. सहायक निदेशक(टंकण/आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पर्यावरण भवन,नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे इसे राजभाषा विभाग के पोर्टल/वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं ।
9. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवां तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली ।
10. प्रभारी सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, हैदराबाद, बेंगलूर ।

(डॉ0 जय प्रकाश कर्दम)
निदेशक

<u>अनुलग्नक-I</u>

प्रपत्र

अधिकारी का नाम	पदनाम	मातृभाषा	वर्तमान तैनाती का स्थल	शैक्षिक/ तकनीकी अर्हता	हिंदी का ज्ञान	टेलीफोन नं(कार्यालय /मोबा.	ई मेल आई डी

प्रायोजक अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय का पूरा पता..

टेलीफोन नं. ....मोबाइल नं............................ फैक्स नं. ....

ई मेल आई डी ..